

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एसीपी/18230/2024/

दिनांक

#### -:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14(88)एफडी/नियम/2008 दिनांक 18.12.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिकों के 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी की दिनांक	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे / पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	गोपाल परिहार	फार्मासिस्ट	जोधपुर	06.12.2012	06.12.2021	L-10	L-11
2.	रेखा बिश्नोई	फार्मासिस्ट	श्रीगंगानगर	21.08.2013	21.08.2022	L-10	L-11
3.	शशी प्रभा आर्या,	फार्मासिस्ट	सिरोही	01.08.2012	01.08.2021	L-10	L-11
4.	कोमल कलाल	फार्मासिस्ट	डूंगरपुर	12.08.2013	12.08.2022	L-10	L-11

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी। यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक 26-03-2024

क्रमांक : नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एसीपी/18230/2024/47

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref  
6254645



Digitally signed by राकेश कुमार शर्मा  
Sharma राजस्थान जयपुर  
Designation : Director  
Date: 2024.03.26 12:43:39 IST  
Reason: Approved